डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 199] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 सितम्बर 2001—भाद्र 23, शक 1923

सहकारिता विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2001

अधिसूचना

क्रमांक एफ/7-5/15/सह/2001.—छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2001 (क्र. 11 सन् 2001) की धारा 1 के खण्ड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा 14 सितम्बर 2001 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 16 (ग) के उपबन्ध प्रवृत्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रहास बेहार, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2001

क्रमांक एफ/7-5/15/सह./2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/7-5/15/सह./2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रहास बेहार, विशेष सचिव.

Raipur, the 14th September 2001

NOTIFICATION

No. F-7-5/15/SAH./2001.—In exercise of powers conferred by clause (ii) of Section 1 of the Chhattisgarh Co-Operative societies (Amendment) Act, 2001 (No. 11 of 2001), the State Government hereby, appoint 14th. day of September 2001 as the date on which the provisions of Section 16 (c) of the said Act, shall come in to force.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
CHANDRAHAS BEHAR, Special Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.